# न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)

बइजलास– श्री हँसमुख कुमार (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या– 07/2014
तारीख दायरा–21/01/2014
निर्णत तारीख–12/11/2018

**वादीगण–**

1– हिम्मतमल पुत्र चम्पालालजी, आयु– 49 वर्ष,
2– प्रकाशचन्द पुत्र चम्पालालजी, आयु– 51 वर्ष,
3– फुलीबाई पुत्री चम्पालालजी, आयु– 60 वर्ष,
4– नरेश पुत्र मदनलालजी, आयु– 33 वर्षख
5– पुष्पा पत्नि स्व. मदनलालजी, आयु– 55 वर्ष,
6– रितीक पुत्र स्व. मदनलालजी, आयु–12 वर्ष अल्पवयस्क, जरिये वाद मित्र (नैक्स्ट फ्रेन्ड) प्राकृतिक सरंक्षक (माता) वादी संख्या–4 पुष्पा पत्नि मदनलालजी के, जातिगण तमाम– सुनार (सोनी), निवासीगण– देसूरी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

**प्रतिवादीगण–**

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)
2– भू–दान यज्ञ बोर्ड, राजस्थान, जरिये– अध्यक्ष/सचिव भूदान यज्ञ बोर्ड, धामाजी की हवेली सिहर डयोढी बाजार, जयपुर– 302002 (राजस्थान)
3– मृत निहालचन्द पुत्र नेमीचन्दजी, जाति– सुनार, निवासी– देसूरी तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0) के कायम मुकाम वारिसान–
3/1– कमलादेवी पत्नि स्व0 निहालचंदजी, आयु–60 वर्ष,
3/2– दिलीपकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु– 40 वर्ष,
3/3– विजयकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु– 38 वर्ष,
3/4– उमेशकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु– 36 वर्ष,
3/5– विनितकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु– 34 वर्ष, जातिगण– सुनार (सोनी), निवासीगण– देसूरी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0) हाल निवासी–श्रीनाथ कम्युनिकेशन एण्ड इमिटेशन ज्वेलरी, पारचं पंचायत रोड, सुन्दरलाल कम्पाउण्ड, अन्धेरी(ईस्ट), मुम्बई–69 (महाराष्ट्र)
4– सुरेश पुत्र सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु– 47 वर्ष,
5– भरत पुत्र सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु– 39 वर्ष,
6– हसमुखी पुत्र सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु– 51 वर्ष,
7– नर्बदा पुत्री सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु– 47 वर्ष, जातिगण– सुनार (सोनी), निवासीगण– देसूरी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0) हाल निवासी– जादर, तहसील– इडर, जिला– साबरकांटा (गुजरात)

**–: वाद अन्तर्गत धरा– 88, 89, राज0 काश्त0 अधि0 1955 :–**
**सपठित धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

––लगातार पेज– 2 पर............

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

**उपस्थिति**— 1—वादीगण की ओर से वकील श्री शेषाराम कुमावत।
2—राज्य सरकार की ओर से सरकारी पैरोकार।

—: निर्णय :— दिनांक— 12/11/2018

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि— वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि— मौजा सरहद ग्राम— देसूरी स्थित वादग्रस्त आराजियात पुराने खसरा नम्बर— 151/1 रकबा— 8 बीघा किस्म बारानी दोयम, लगान रूपयां— 2.50, खसरा नम्बर— 173 रकबा— 2 बीघा 19 विस्वा, खसरा नम्बर— 173/10 रकबास— 2 बीघा 5 विस्वा किस्म बारानी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या—3 से लगाय—7 के पूर्वज दादा/पिता श्री नेमीचंद पुत्र हजारीमलजी की रिकार्डेड खातेदारी आधिपत्य की थी, जो वाद—पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदिया (खेवट खतौनी) सम्वत् 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2030 से 2033 एवं सम्वत् 2034 से 2037 की प्रमणित प्रतियों से स्पष्ट प्रमाणित एवं साबित है, जो सम्वत् 2026 से 2029 तक के राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदियों मे उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के उक्त पूर्वज की खातेदारी की दर्ज सुदा चली आयी है, किन्तु चूँकि पुराने खसरा नम्बर— 408/6 रकबा— 10 बीघा कृषि भूमि का अलग खाता था, जो नेमीचंद पुत्र हजारीमलजी कौम—सुनार सा0देह पट्टाधारी भूदान मुस्तकिल शिकमी सम्वत् 2026 से 2029 की जमाबंदी मे दर्ज थी, जिसका एवं वादीगण की उक्त पैतृक खातेदारी की वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर—151/1 रकबा— 8 बीघा दोनो के दो अलग अलग खाते थे, जिन्हे सम्वत् 2030 से 2033 की जमाबंदी बनाई तब उक्त दोनो खसरा का शामलात मे एक ही खाता नम्बर— 272 बना कर पुराने खसरा नम्बर— 151/1 रकबा— 8 बीघा को वादीगण के पूर्वज नेमीचन्द पुत्र हजारीमलजी कौम— सोनार सा. देह खातेदार दर्ज किया, किन्तु इसी खाता मे नीचे पुराने खसरा नम्बर— 408/6 रकबा— 10 बीघा को भी दर्ज कर कॉलम संख्या—5 मे डोट—डोट कर नीचे आगे "भूदान" दर्ज कर दिया, जो मात्र पुराने खसरा नम्बर— 408/6 के संबंध मे दर्ज किया गया था एवं तत्पश्चात् सम्वत् 2034 से 2037 की जमाबंदी भी इसी प्रकार बनाई गई, जिसके खाता संख्या— 275 थे, जिसमे वादीगण की पैतृक खातेदारी की आराजी पुराने खसरा नम्बर— 173 रकबा— 2 बीघ 19 विस्वा का भी इन्द्राज करते हुए नीचे "भूदान" दर्ज कर दिया जो मात्र पुराने खसरा नम्बर— 408/6 के संबंध मे ही था, जिससे एवं वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि पुराने खसरा नम्बर— 173/10 का खाता संख्या— 276 भी पास खतौनी मे दर्ज था, जिसे सम्वत् 2034 से 2037 की खतौनी के पश्चात् नया सेटलमेंट होने पर सेटलमेंट विभाग की भूल एवं गलति से वादीगण के पूर्वज नेमीचन्द की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर— 151/1 रकबा— 8 बीघा किस्म बारानी दोयम, लगान रूपयां— 2.50, खसरा नम्बर— 173 रकबा— 2 बीघा 19 विस्वा, खसरा नम्बर— 173/10 रकबास— 2 बीघा 5 विस्वा किस्म बारानी से नये बने खसरा नम्बर— 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा— 2.0300 हैक्टर को कत्तई गलत रूपेण मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 की भूदान यज्ञ बोर्ड खातेदार नेमीचन्द वल्द हजारी सोनार सा. देह लीज होल्डर के नाम बना दी

—लगातार पेज— 3 पर.............

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

गई एवं तत्पश्चात् उक्त मिसल बन्दोवस्त के आधार पर बनी जमाबंदियों मे भी यही इन्द्राज होता चला अया है। दरअसल मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से 7 की पैतृक खातेदारी की उक्त वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर– 151/1, 173 व 173/10 से नये बने खसरा नम्बर– 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा– 2.0300 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–2 दो भूदान यज्ञ बोर्ड की कभी भी खातेदारी की नही थी न है, अपितु वादीगण के पूर्वज की खातेदारी आधिपत्य की थी मात्र राजस्व कर्मचारियों/ भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की अभिलेखिय इन्द्राजात की त्रुटी एवं गलति से एवं उपर वर्णित अनुसार मात्र पुराने खसरा नम्बर– 4089/6 रकबा– 10 बीघा भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी की आराजी को भी वादग्रस्त आराजी के खाते मे दर्ज करने व इसके आगे "भूदान" दर्ज करने मात्र से गलति एवं भूल व त्रुटी से वादीगण की पैतृक खातेदारी की वादग्रस्त आराजी भी भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी की दर्ज हो गई, जो कत्तई गलत है। उक्त वादीगण पूर्वज दादा नेमीचंदजी का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से लगाय–7 है एवं उक्त वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण के पूर्वज नेमीचंदजी के जीवनकाल तक उनका एवं उनकी मत्युपरान्त कब्जा काश्त उनके विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3 से 7 का निरन्तर चला आ रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर– 151/1, 173 व 173/10 से नये बने वर्तमान खसरा नम्बर– 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा– 2.0300 हैक्टर वादीगण की पैतृक खातेदारी की वादीगण के पूर्वज नेमीचन्दजी की खातेदारी आधिपत्य की रिकार्डेड खातेदारी की थी, जो प्रस्तुत पुराने एवं नये राजस्व अधिकार अभिलेख पुरानी एवं नई जमाबंदिया, मिसलबन्दोवस्त एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट प्रमाणित है, जिसे बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिकी/आदेश या बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश या बिना किसी विधिक अन्तरण विलेख दस्तावेज के राजस्व कर्मचारियों/ भू–प्रबन्ध विभाग को वादीगण के पूर्वज की खातेदारी विलोपित कर प्रतिवादी संख्या–2 भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी दर्ज करने व नेमीचन्द को लीज होल्डर दर्ज करने का कानूनन कोई अधिकार नही था। माह मार्च 2013 मे वादीगण की उक्त पैतृक वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का भूमि प्रमाण–पत्र बनवाने हेतू मैं वादी हिम्मतमल पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारीजी द्वारा रिकार्ड देख कर बताया कि यह भूमि तों भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम खातेदारी की दर्ज है, आपको भूमि प्रमाण–पत्र नही मिलेगा तब वादग्रस्त आराजी के पुराने राजस्व रिकार्ड आदि की नकले लेने एवं मंगवाने पर उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होने पर वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी गलत रूपेण भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम खातेदारी दर्ज हुई, उसे हटा कर वादीगण के पूर्वज नेमीचंदजी के विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3 से 7 के नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतू तहसीलदारजी, देसूरी को निवेदन किया तब उनके द्वारा राजस्व न्यायालय मे कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। जिस पर वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से हस्ब धारा– 80 सी.पी.सी. के तहत रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक– 29/06/2013 का लिखा दिनांक– 01/07/2013 को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के दो माह की समयावधि मे वादग्रस्त आराजी मृत नेमीचंद पुत्र हजारीमलजी के विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से लगाय–7 सात के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने हेतू लिखा

——लगातार पेज– 4 पर..........

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

गया, जो उक्त रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादी संख्या–1 एक को प्राप्त होने के दो माह से भी अधिक समय व्यतीत होने पर भी वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम खातेदारी की दर्ज नही की एवं न ही नोटिस का कोई जबाब ही दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या–2 दो भूदान यज्ञ बोर्ड की तरफ से नोटिस का जबाब भेज कर वादग्रस्त आराजी भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी की नही होना स्वीकार करते हुए तहसील कार्यालय मे कार्यवाही करने का उल्लेख किया व वादीगण के नोटिस के अनुसरण मे स्पष्ट किया कि नोटिस मे वर्णित खसरो मे से सिर्फ पुराने खसरा नम्बर– 408/6 रकबा– 10 बीघा भूमि ही भूदान यज्ञ बोर्ड की थी यानि वादग्रस्त आराजी भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी भूमि नही होना स्वीकार किया, जिस जबाब की फोटो कोपी एवं रजिस्टर्ड नोटिस की फोटो प्रति व पोस्टल रसीदे व प्राप्ति स्वीकृति रसीदो की फोटो प्रतिया वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या–2 भूदान यज्ञ बोर्ड की न तो कभी खातेदारी आधिपत्य की थी न है एवं वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–3 से 7 के पूर्वज नेमीचंदजी की खातेदारी की थी, जिसके तमाम खातेदारी हक अधिकार कानूनन नेमीचंदजी की मृत्यु पश्चात् उनके विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से 7 मे निहित हुए है, जिसमे वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 3 तीन का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या–4 चार से लगाय–7 सात का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूपेण विद्यमान है अतः उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण अपनी खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है एवं वादग्रस्त आराजी मात्र राजस्व कर्मचारियों एवं सेटलमेंट की भूल एवं गलति से अभिलेखिय इन्द्राजात की त्रुटी व गलति से प्रतिवादी संख्या–2 भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम खातेदारी की दर्ज हुई है, जो कत्तई गलत है, जिससे वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है एवं बावजूद कानूनी नोटिस के वादग्रस्त आराजी राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से 7 की खातेदारी की दर्ज नही करने से वादीगण वादीगण द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से 7 की खातेदारी की घोषित कराने एवं इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से 7 के नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतू यह वाद हस्ब धारा– 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जो श्रीमान् न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर्ड होकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या– 2 भूदान यज्ञ बोर्ड की तरफ से जबाबदावा श्रीमान् न्यायालय को प्रेषित किया, जो शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3/1 से लगाय– 3/5 की ओर से एवं प्रतिवादीगण संख्या– 4 से 7 की ओर से इकबालिया जबाबदावे प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गये एवं न्यायालय द्वारा तनकीयात विरचित की गई।

वादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य मे गवाह पीडब्लू–1 हिम्मतराम का शपथ–पत्र एवं बयान लेखबद्ध न्यायालय मे कराये जाकर न्यायालय मे परिक्षण कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे दस्तावेजात इएक्सपी–1 से लगाय– इक्सपी–14 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये एवं वादीगण की शहादत बंद की गई। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से बावजूद मौका व अवसर के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई एवं प्रतिवादी संख्या–1

—लगातार पेज– 5 पर............

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

वाद–पत्र मे औपचारिक पक्षकार होने से उनकी तरफ से साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया गया एवं वकील वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो रिकार्ड पर ली गई।

तत्पाश्चात् वकील वादीगण द्वारा मजिद लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई, जिसमे वकील वादीगण द्वारा विशेष रूप से यह तर्क दिये एवं निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0–3 की ओर से जो कथित वसीयतनामा की फोटो प्रति पत्रावली पर पेश हुई है किन्तु मूल वसीयत–नामा न्यायालय मे पेश नही नही हुआ है एवं जो वसीयत की फोटो कोपी पेश हुई है वो प्रमाणित या सत्य प्रति भी नही है एवं न ही न्यायालय मे इसे धारा– 64, 65, 67, 68 साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी प्रकार से प्रथम साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित ही करवाया गया है एवं न ही उक्त वसीयत–नामा की फोटो कोपी को एग्जिबिट (प्रदर्शित) ही कराया गया है, जिससे उक्त वसीयतनामा की फोटो प्रति कानूनन साक्ष्य मे किसी प्रकार से ग्राह्य नही होकर इसे किसी प्रकार से साक्ष्य मे नही पढा जा सकता है, जो विधिक का सुस्थापित सिद्धान्त है एवं यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या– 3 निहालचंद की मृत्यु दौराने वाद हो गई जिससे उक्त मृत प्रतिवादी सं0–3 की मृत्युपरान्त आदेश–22 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत मृत प्रतिवादी सं0–3 के विधिक प्रतिनिधिगण वारिसान प्रतिवादी संख्या–3/1 से लगाय– 3/5 को नियमानुसार रिकार्ड पर लिया जाने के बाद इन प्रतिवादीगण संख्या– 3/1 से लगाय– 3/5 की तरफ से इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद–पत्र के तमाम तथ्यो को स्वीकार किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या–4 से 7 की तरफ से भी इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद–पत्र को स्वीकार किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या–1 राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा मे वाद–पत्र के तथ्यो की ताईद की गई है एवं प्रतिवादी संख्या–2 भूदान यज्ञ बोर्ड की ओर से प्रेषित जबाब नोटिस एवं अपने जबाबदावा मे स्पष्ट रूप से उनकी खातेदारी की भूमि पुराने खसरा नम्बर– 408/1 होना ही बताया है, जिसके अलग नये खसरा नम्बर– 1541 रकबा– 1.49 हैक्टर बने है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है एवं वादीगण की पैतृक हक अधिकार आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3 से लगाय–7 की होने से प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा इन्कार (डिनाय) भी नही किया गया है एवं न ही वाद–पत्र के तथ्यो को डिनाय किया गया है, जिससे इनके द्वारा भी वादीगण के वाद–पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रकरण हाजा मे विधि एवं तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारो मे विवाद नही होना भी स्पष्टतया साबित होता है।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं मजिद लिखित बहस का अवलोकन एवं मनन किया जाकर प्रकरण मे तनकीवार निम्न प्रकार विवेचन एवं निर्णय किया जाता है–

**<u>तनकी नम्बर– 1–</u>** आया वादग्रस्त आराजी मौजा देसूरी स्थित पुराने खसरा नम्बर– 151/1 रकबा– 8 बीघा, 173 रकबा– 2 बीघा 19 विस्वा, 173/10 रकबा– 2 बीघा 5 विस्वा से नये बने वर्तमान खसरा नम्बर– 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा– 2. 0300 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0–3 से 7 के पूर्वज दादा/पिता नेमीचंद पुत्र हजारीमल आदि की खातेदारी की थी, जिसे बिना किसी सक्षम आदेश/दस्तावेज या बिना किसी विधिक अधिकार के राजस्व कर्मचारियो/भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो की भूल,

—लगातार पेज– 6 पर.............

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

त्रुटी एवं गलती से कत्तई गलत रूपेण प्रतिवादी सं0–2 भूदान यज्ञ बोड की खातेदारी दर्ज कर दी, जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी अपनी एवं प्रतिवादी सं0–3 से 7 की खातेदारी घोषित व दर्ज कराने के अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। मौजा देसूरी स्थित वादग्रस्त आराजियात पुराने खसरा नम्बर– 151/1 रकबा– 8 बीघा, 173 रकबा– 2बीघा 19 विस्वा, 173/10 रकबा– 2 बीघा 5 विस्वा से नये बने वर्तमान खसरा नम्बर– 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा– 2.0300 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0–3 से 7 के पूर्वज दादा/पिता नेमीचंद पुत्र हजारीमल की खातेदारी की थी, जो वादीगण की ओर से प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य इएक्सपी–1 से लगाय– इएक्सपी– 9 राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदिया (खेवट खतौनी) सम्वत् 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2030 से 2033 एवं सम्वत् 2034 से 2037 की प्रमणित प्रतियों एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियो से स्पष्ट प्रमाणित एवं साबित है। पुराने खसरा नम्बर– 251/1 रकबा– 8 बीघा राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 इएक्सपी– 3 मे वादीगण के पूर्वज नेमीचंद पुत्र हजारीमलजी कौम सुनार सा0 देह खातेदारी की दर्ज होना साबित है एवं इसका अलग खाता होना भी साबित है एवं पुराने खसरा नम्बर– 173/10 रकबा– 2 बीघा 5 विस्वा जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 इएक्सपी– 4 मे वादीगण के पूर्वज नेमीचंद आदि की खातेदारी की दर्ज होना एवं पुराने खसरा नम्बर– 173 रकबा– 2 बीघा 19 विस्वा सम्त् 2034 से 2037 की जमाबंदी इएक्सपी– 5 मे वादीगण के पूर्वज नेमीचंद की खातेदारी की दर्ज होना साबित है एवं पुराने खसरा नम्बर– 408/6 रकबा– 10 बीघा कृषि भूमि का अलग खाता था, जो भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी थी, जिसके अलग नये खसरा नम्बर– 1541 रकबा– 1.40 हैक्टर बने, जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है, जो नेमीचंद पुत्र हजारीमलजी कौम–सुनार सा0देह पट्टाधारी भूदान मुस्तकिल शिकमी सम्वत् 2026 से 2029 की जमाबंदी मे दर्ज थी, जिसका एवं वादीगण की उक्त पैतृक खातेदारी की वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर– 151/1 रकबा– 8 बीघा दोनो के दो अलग अलग खाते थे, जिन्हे सम्वत् 2030 से 2033 की जमाबंदी बनाई तब उक्त दोनो खसरा का शामलात मे एक ही खाता नम्बर– 272 बना कर पुराने खसरा नम्बर– 151/1 रकबा– 8 बीघा को वादीगण के पूर्वज नेमीचन्द पुत्र हजारीमलजी कौम– सोनार सा. देह खातेदार दर्ज किया एवं इसी खता नम्बर– 272 मे नीचे पुराने खसरा नम्बर– 408/6 रकबा– 10 बीघा को भी दर्ज कर कॉलम संख्या–5 मे डोट–डोट कर नीचे आगे "भूदान" दर्ज कर किया , जो मात्र पुराने खसरा नम्बर– 408/6 के संबंध मे ही दर्ज होना प्रतीत होता है एवं तत्पश्चात् सम्वत् 2034 से 2037 की जमाबंदी भी इसी प्रकार बनाई गई, जिससे एवं पुराने खसरा नम्बर– 173/10 का खाता संख्या– 276 भी पास खतौनी मे दर्ज था, जिसे सम्वत् 2034 से 2037 की खतौनी के पश्चात् नया सेटलमेंट होने पर सेटलमेंट विभाग की भूल एवं गलति से बिना किसी हक अधिकार वादीगण के पूर्वज नेमीचन्द की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर– 151/1 रकबा– 8 बीघा किस्म बारानी दोयम, लगान रूपयां– 2.50, खसरा नम्बर– 173 रकबा– 2 बीघा 19 विस्वा, खसरा नम्बर– 173/10 रकबास– 2 बीघा 5 विस्वा किस्म बारानी से नये बने खसरा नम्बर– 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा– 2.0300 हैक्टर को कत्तई गलत रूपेण नया राजस्व रिकार्ड मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 की भूदान यज्ञ बोर्ड खातेदार नेमीचन्द वल्द हजारी सोनार सा. देह लीज होल्डर के नाम बना दिया जाना एवं तत्पश्चात् उक्त मिसल बन्दोवस्त के आधार पर जमाबंदियों

——लगातार पेज– 7 पर.............

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

देसूरी

बनना साबित होता है एवं भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी की आराजी पुराने खसरा नम्बर— 408/6 रकबा— 10 बीघा के नये अलग खसरा नम्बर— 1541 रकबा— 1.49 हेक्टर सेटलमेंट द्वारा बनाया बनाये गये, जो इसके मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या—3 से 7 की पैतृक खातेदारी की उक्त वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर— 151/1, 173 व 173/10 से नये बने खसरा नम्बर— 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा— 2.0300 हैक्टर प्रतिवादी संख्या—2 दो भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी की नही होना एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या— 3 से 7 के पूर्वज की पैतृक खातेदारी की होना साबित होता है, जिससे मात्र राजस्व कर्मचारियों/ भू—प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की अभिलेखिय इन्द्राजात की त्रुटी एवं गलति से एवं उपर वर्णित अनुसार मात्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या—3 से 7 की पैतृक खातेदारी की आराजियात पुराने खसरा नम्बर— 151/1, 173 व 173/10 से नये बने खसरा नम्बर— 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा— 2.0300 हैक्टर को गलत रूपेण प्रतिवादी सं0—2 भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी दर्ज होना जाना प्रमाणित होता है, जो तथ्य प्रतिवादी संख्या— 1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा मे उपरोक्त तथ्यो को स्पष्ट रूप से अंकन कर स्वीकार किया है एवं भूदान यज्ञ बोर्ड की तरफ से नोटिस का जबाब एवं उनकी तरफ से प्रेषित प्रस्तुत किये जबाबदावा मे भी स्पष्ट अंकन कर स्वीकार किया गया है कि बोर्ड के रेकार्ड के अनुसार ग्राम देसूरी के पुराने खसरा नम्बर— 408 की भूमि ही राज्य सरकार से भूदान यज्ञ बोर्ड को प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बर— 408/6 रकबा— 10 बीघा भूमि ही भुदान यज्ञ बोर्ड की होना साबित होता है, जिसके अलग नये खसरा नम्बर— 1541 बने है, जो इसके राजस्व अभिलेख मिलान क्षेत्रफल से भी स्पष्ट होता है एवं प्रतिवादी संख्या—1 राज्य सरकार एवं प्रतिवादी संख्या—2 भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या— 3 से 7 के पैतृक हक अधिकार खातेदारी आधिपत्य की होने से इनकार (डिनाय) नही किया गया है एवं न ही वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर— 151/1, 173 व 173/10 से नये बने खसरा नम्बर— 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा— 2.0300 हैक्टर को भूदान यज्ञ बोड की खातेदारी होने का क्लेम ही किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित राजस्व अधिकार अभिलेख रिकार्ड जमाबंदियो की प्रमाणित प्रतियों, मिलान क्षेत्रफल से एवं प्रतिवादी संख्या—1 राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा एवं भू—दान यज्ञ बोर्ड की ओर से धारा— 80 सी0पी0सी0 के नोटिस का जबाब नोटिस एवं जबाबदावा आदि से मेरी विनम्र राय मे यह स्पष्ट रूप से साबित एवं प्रमाणित होता है कि पुराने खसरा नम्बर— 151/1 रकबा— 8 बीघा, 173 रकबा— 2 बीघा 19 विस्वा, 173/10 रकबा— 2 बीघा 5 विस्वा से नये बने वर्तमान खसरा नम्बर— 735, 736, 737, 738, 764 कुल रकबा— 2. 0300 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0—3 से 7 के पूर्वज दादा/पिता नेमीचंद पुत्र हजारीमल आदि की खातेदारी की थी, जिसे बिना किसी सक्षम आदेश/दस्तावेज या बिना किसी विधिक अधिकार के राजस्व कर्मचारियो/ भू—प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो की भूल, त्रुटी एवं गलती से कत्तई गलत रूपेण प्रतिवादी सं0—2 भूदान यज्ञ बोड की खातेदारी दर्ज कर दी, जिसका मेरी विनम्र राय मे कानूनन राजस्व कर्मचारियो/ भूप्रबन्ध विभाग को अधिकार नही था एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य स्व. नेमीचंद के वारिसदार प्रमाण—पत्र इएक्सपी— 10ए , स्व. नेमीचंद का मृत्यु प्रमाण—पत्र इएक्सपी—11ए, एवं सरेमल उर्फ शिवलाल का मृत्यु प्रमाण—पत्र इएक्सपी—14ए, स्व. मदनलाल का मृत्यु प्रमाण—पत्र

——लगातार पेज— 8 पर.............

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

इएक्सपी– 12ए, व स्व. चम्पालाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र इएक्सपी– 13ए आदि से स्व. नेमीचंद के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3 से 7 होना साबित होता है, जिससे कानूनन वादीगण हस्ब धारा– 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत इन्द्राज दुरूस्ती के एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3 से 7 अपनी पैतृक हक अधिकार खातेदारी की वादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी की घोषित व दर्ज कराने के अधिकारी होना न्याय हित मे मानता हूँ एवं विद्वान वकील वादीगण की ओर से अपनी बहस के साथ प्रस्तुत किये गये न्यायिक सिद्धान्तो, साईटेशन 1– 2018 (1) आरआरटी पेज–292, 2– 2013(1) आरआरटी– पेज– 226 व 391 एवं 3– 2014(1) आरआरटी– (सुप्रिम कोर्ट) पेज– 276 का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया, जो मेरी विनम्र राय मे हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह तनकी नम्बर– 1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 3 से 7 के पक्ष मे तय एवं निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर– 2–</u> आया मौजा देसूरी स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर– 408, 408/6 ही भूदान यज्ञ बोड की खातेदारी की थी एवं वादग्रस्त आराजी उक्त पुराने खसरो से नही बनी अपितु वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी की आराजी पुराने खसरा न0–151/1, 173, 173/10 से बने है , जो भूदान यज्ञ बोर्ड की खातेदारी की नही थी मात्र राजस्व/भू–प्रबन्ध कर्मचारियो की भूल एवं गलति से गलत रूपेण राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हुई है, जिससे वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा के अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर था। चूंकि यह तनकी नम्बर–2 भी तनकी नम्बर–1 से ही मिलती जुलती है अतः इस संबंध मे और विस्तृत विवेचन करने की आवश्यकता नही मानते हुए तनकी नम्बर–1 के विवेचन अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख अभिलेखिय साक्ष्य अनुसार एवं राज्य सरकार की ओर से एवं भूदान यज्ञ बोर्ड की ओर से प्रस्तुत जबाबदावो से भूदान पुराने खसरा नम्बर– 408/6 ही भूदान यज्ञ बोड की खातेदारी की होना साबित होता है, जिसके अलग नये खसरा नम्बर– 1541 रकबा– 1.49 हैक्टर बनना मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है एवं वादग्रस्त आराजी भूदान यज्ञ बोर्ड की उक्त पुराने खसरा नम्बर– 408/6 से नही बनना साबित होता है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3 से 7 के की पैतृक पुरानी खातेदारी की आराजी आराजी पुराने खसरा न0–151/1, 173, 173/10 से बनना राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है, जिससे मात्र राजस्व/भू–प्रबन्ध कर्मचारियो की भूल एवं गलति से वादीगण की पैतृक खातेदारी की वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम गलत रूपेण खातेदारी दर्ज होना जाना साबित होता है, जिससे वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा के अधिकारी होना मानता हूँ एवं तनकी नम्बर–1 वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0–3 से 7 के पक्ष मे तय एवं निर्णित की गई है अतः न्याय हित मे यह तनकी नबर–2 भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 3 से 7 के पक्ष मे तय एवं निर्णत की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–3–</u> आया वादीगण वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने के अधिकारी है ?

तनकी नम्बर–1 व 2 के विस्तृत विवेचन अनुसार वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 3 से 7 की पैतृक संयुक्त खातेदारी आधिपत्य होने से विभाजन के अधिकारी है एवं इसी अनुरूप इस तनकी तकी नम्बर– 3 को निर्णित किया जाता है।

——लगातार पेज– 9 पर.............

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

**तनकी नम्बर– 4–** अनुतोष – उपरोक्त रूपेण तनकी नम्बर– 1, 2 व 3 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–3 से 7 के पक्ष मे तय एवं निर्णित किये जाने से वादीगण वाद–पत्र मे चाहे अनुसार अनुतोष डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होना मानता हूँ।

## –: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि– मौजा सरहद ग्राम– देसूरी, पटवार हल्का– देसूरी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) मे स्थित वादग्रस्त आराजियात वर्तमान खसरा नम्बर– 735 रकबा– 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, 736 रकबा– 0.2000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, 737 रकबा– 0.5400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, 738 रकबा– 0.3700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं 764 रकबा– 0.5100 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल खसरा–5 कुल क्षेत्रफल– 2.0300 हैक्टर, लगान रूपयां– 13.72 वादीगण हिम्मतमल, प्रकाशचन्द पुत्रगण चम्पालालजी, फुलीबाई पुत्री चम्पालालजी, नरेश, रितीक पुत्रगण मदनलालजी, पुष्पा पत्नि मदनलालजी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या–3/1 से 3/5 कमलादेवी पत्नि निहालचंदजी, दिलीपकुमार, विजयकुमार, उमेशकुमार, विनितकुमार पुत्रगण निहालचंदजी 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या–4 से 7 सुरेश, भरत पि0 सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, हसमुखी, नर्बदा पुत्रियां सरेमलजी उर्फ शिवलालजी 1/3 हिस्सा, जातिगण– सुनार (सोनी), निवासीगण– देसूरी की खातेदारी की घोषित की जाती है, जिस अनुरूप वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे इनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे एवं अमलदरामद किया जावे एवं " भूदान यज्ञ बोर्ड खातेदार नेमीचंद वल्द हजारी सोनार सा0देह लीज होल्डर " को विलोपित किया जाकर हटाया जावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

निर्णय आज दिनांक–१२/११/2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

# —: डिगरी बमुकदमें इब्तदाई :—

( ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला— पाली (राज0)

बइजलास— श्री हसमुख कुमार (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या— 07/2014

तारीख दायरा—21/01/2014

निर्णत तारीख—१२/११/2018

**वादीगण—**

1— हिम्मतमल पुत्र चम्पालालजी, आयु— 49 वर्ष,

2— प्रकाशचन्द पुत्र चम्पालालजी, आयु— 51 वर्ष,

3— फुलीबाई पुत्री चम्पालालजी, आयु— 60 वर्ष,

4— नरेश पुत्र मदनलालजी, आयु— 33 वर्षख

5— पुष्पा पत्नि स्व. मदनलालजी, आयु— 55 वर्ष,

6— रितीक पुत्र स्व. मदनलालजी, आयु—12 वर्ष अल्पवयस्क, जरिये वाद मित्र (नैक्स्ट फ्रेन्ड) प्राकृतिक सरंक्षक (माता) वादी संख्या—4 पुष्पा पत्नि मदनलालजी के, जातिगण तमाम— सुनार (सोनी), निवासीगण— देसूरी, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0)

—: विरूद्ध :—

**प्रतिवादीगण—**

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

2— भू—दान यज्ञ बोर्ड, राजस्थान, जरिये— अध्यक्ष/सचिव भूदान यज्ञ बोर्ड, धामाजी की हवेली सिहर ड्योढी बाजार, जयपुर— 302002 (राजस्थान)

3— मृत निहालचन्द पुत्र नेमीचन्दजी, जाति— सुनार, निवासी— देसूरी तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0) के कायम मुकाम वारिसान—

3/1— कमलादेवी पत्नि स्व0 निहालचंदजी, आयु—60 वर्ष,

3/2— दिलीपकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु— 40 वर्ष,

3/3— विजयकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु— 38 वर्ष,

3/4— उमेशकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु— 36 वर्ष,

3/5— विनितकुमार पुत्र स्व0 निहालचंदजी, आयु— 34 वर्ष, जातिगण— सुनार (सोनी), निवासीगण— देसूरी, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0) हाल निवासी—श्रीनाथ कम्युनिकेशन एण्ड इमिटेशन ज्वेलरी, पारचं पंचायत रोड, मुम्बई—69 (महाराष्ट्र)

4— सुरेश पुत्र सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु— 47 वर्ष,

5— भरत पुत्र सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु— 39 वर्ष,

6— हसमुखी पुत्र सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु— 51 वर्ष,

7— नर्बदा पुत्री सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, आयु— 47 वर्ष, जातिगण— सुनार (सोनी), निवासीगण— देसूरी, तहसील— देसूरी, जिला— पाली राज0) हाल निवासी— जादर, तहसील— इडर, जिला— साबरकांटा (गुजरात)

**—: वाद अन्तर्गत धरा— 88, 89, राज0 काश्त0 अधि0 1955 :—**

**सपठित धारा— 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956**

मुकदमा नम्बर— राजस्व मूल वाद संख्या—07/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्ताई रूबरू हमारे वकील श्री शेषाराम कुमावत मिनजानिब मुद्दईयान व सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धायला राज्य सरकार

——क्रमशः पेज— 2 पर............

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि– अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिकी किया जाता है कि– मौजा सरहद ग्राम– देसूरी, पटवार हल्का– देसूरी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) मे स्थित वादग्रस्त आराजियात वर्तमान खसरा नम्बर– 735 रकबा– 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, 736 रकबा– 0.2000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, 737 रकबा– 0.5400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, 738 रकबा– 0.3700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं 764 रकबा– 0.5100 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल खसरा–5 कुल क्षेत्रफल– 2.0300 हैक्टर, लगान रूपयां– 13.72 वादीगण हिम्मतमल, प्रकाशचन्द पुत्रगण चम्पालालजी, फुलीबाई पुत्री चम्पालालजी, नरेश, रितीक पुत्रगण मदनलालजी, पुष्पा पत्नि मदनलालजी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या–3/1 से 3/5 कमलादेवी पत्नि निहालचंदजी, दिलीपकुमार, विजयकुमार, उमेशकुमार, विनितकुमार पुत्रगण निहालचंदजी 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या–4 से 7 सुरेश, भरत पि0 सरेमलजी उर्फ शिवलालजी, हसमुखी, नर्बदा पुत्रियां सरेमलजी उर्फ शिवलालजी 1/3 हिस्सा, जातिगण– सुनार (सोनी), निवासीगण– देसूरी की खातेदारी की घोषित की जाती है, जिस अनुरूप वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे इनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे एवं अमलदरामद किया जावे एवं " भूदान यज्ञ बोर्ड खातेदार नेमीचंद वल्द हजारी सोनार सा0देह लीज होल्डर " को विलोपित किया जाकर हटाया जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ...........++ ......

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख–१२.. माह ११... सन् 2018

मोहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

औहदा.................. देसूरी

| मुद्दई | रूपयां पैसा | मुद्धायलास | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | स्टाम्प वकालतनामा | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | | फीस कमिश्नर | |
| फीस कमिश्नर | | बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | मुत्फरिक | |
| मिजान | | मिजान | |

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।